न्यायालय अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

अपील सं.–06 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नं.–56 / 2025**

सीताराम पुत्र गुरदयालराम जाति कुम्हार साकिन 30 एमएम, पक्का सहारणा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. लालचंद पुत्र गुरदयालराम जाति कुम्हार साकिन 2 / 3 आरजेएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री तिलकराज चुघ** **–अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री दलजीत सिंह** **– अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2**

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.07.2025

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक / प.7(27) राज / 2 / 2023 –06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी. एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।
2. अपीलार्थी के द्वारा अपील पेश कर अवगत करवाया गया कि अपीलांट के पिता गुरदयालराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार के नाम से तहसील घडसाना के चक 2 / 3 आरजेएम का मुरब्बा नं.–95 / 62 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.224 हैक्टेयर कमांड / अनकमांड कृषि भूमि का वसीयत दिनांक–06. 10.1999 के आधार पर रेस्पोडेंट सं.–02 के नाम से इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश के विरूद्ध किये गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्षेत्र से बाहर जाकर व कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राथमिक रूप से गलत न्याय विरूद्ध होने से निरस्ती के योग्य है।
3. प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं.–01 की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ एवं प्रत्यर्थीगण सं.–02 की तरफ से दलजीत सिंह उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता गुरदयालराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार के नाम से तहसील घडसाना के चक 2 / 3 आरजेएम का मुरब्बा नं.–95 / 62 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.224 हैक्टेयर कमांड / अनकमांड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के पिता का देहांत दिनांक 11.11.2007 के गांव बनवाली में हो चुका है। अपीलांट के पिता का देहांत के बाद अपीलांट के पिता की उपरोक्त भूमि में सभी वारिसान बराबर बराबर हक व हिस्सा प्राप्त कर रहे थे। अपीलांट के सात लड़कियॉ है कोई लड़का नहीं है चूंकि रेस्पोडेंट सं.–2 अपीलांट का सगा भाई है, जो तहसील घडसाना में निवास करने के कारण अपीलांट ने मुलजिम को कहा कि वह घड़साना तहसील में निवास करता है एवं जमीन भी तहसील घडसाना में पड़ती है इसलिये वह उक्त भूमि समस्त वारिसान के नाम विरास्तन दर्ज करवा लेवें तो रेस्पोडेंट सं.–02 अपीलांट के आश्वासन देता रहा कि उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवा लूंगा। अपीलांट जो कि अनपढ़ है मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। जिसे कानूनी बातों का ज्ञान नहीं था। अपीलांट के द्वारा जब राजस्व रिकॉर्ड के बारे पता किया गया तो पता चला कि उसके पिता के नाम रेस्पोडेंट सं.–02 ने वसीयत

अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

के आधार पर अपने नाम से दर्ज करवा ली है। अपीलांट के सगे भाई ने अकेले जमीन हडपने के आशय से एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयत दिनांक 16.10.1999 को तैयार करके उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल अपने नाम से दर्ज करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या–01 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तदुपरांत रेस्पोडेंट संख्या–01 तहसीलदार, घडसाना द्वारा रेस्पोडेंट संख्या– रेस्पोडेंट संख्या–2 के आवेदन को अपने निर्णय दिनांक–14.03.2011 के आधार पर दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। कथित वसीयत दिनांक 16.10.1999 को रेस्पोडेंट संख्या–02 द्वारा अपने भाई/अपीलांट के भाई गोरधनराम पुत्र गुरदयालराम एवं भतीजे राजेन्द्र कुमार पुत्र गोरधनराम के साथ मिलीभगत कर फर्जी एवं कूटरचित तैयार कर की गई है। उक्त फर्जी एवं कूटरचित वसीयत वर्ष 1999 में तैयार होना दर्शाया गया है जिसमें भूमि को हैक्टेयर मे दर्ज किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1999 के लगभग 7–8 वर्ष बाद हैक्टेयर प्रणाली लागू हुई है। उक्त वसीयत स्टॉप्प वेंडर व अन्य से मिलीभगत कर पीछे की दिनांक में फर्जी एवं कूटरचित तैयार की है। जिसका स्टॉम्प घडसाना से क्रय किया जाना दर्शित किया है एवं कथित वसीयत को श्रीगंगानगर के नोटेरी से प्रमाणित किया जाना दर्शित किया गया है। ये अपने आप में संदेहास्पद हैं, इसलिए आलौच्य आदेश दिनांक 14.03.2011 काबिल निरस्ती के हैं।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं.–02 ने अपने बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेंट सं.–02 के पिता गुरदयालाराम ने उक्त वसीयत पूर्ण होशो हवास में उसके नाम की है। उसका पिता उसके पास ही रहता था। वसीयत के आधार पर ही मुझ प्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार, घडसाना द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किया गया था। इसलिए अपील निरस्त फरमायी जावें।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत का निर्णय पारित करते समय कही भी सभी वारिसान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अंकन नही किया गया है जबकि नामातंरण दर्ज करते समय वैध वारिसान के संबंध में अनुसंधान किया जाना था। पटवारी की रिपोर्ट भी दूषित प्रतीत होती है जिसमें स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि पर किसका कब्जा काश्त था, ना ही वारिसान के संबंध में रिपोर्ट में अंकन किया गया है। उक्त वसीयत पंजीकृत ना होकर नोटेरी से तस्दीक है एवं स्टॉम्प डयूटी घडसाना से क्रय की गई है जबकि नोटेरी तस्दीक श्रीगंगानगर से करवायी गयी है जिससे वसीयत के वैध होने पर संशय प्रतीत होता है। मृत्तक गुरदयालराम के समस्त वारिसान को सुनते हुए पूर्ण अनुसंधान के पश्चात प्रकरण को निर्णित करना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार द्वारा अपीलांट के पिता गुरदयालराम के वैध वारिसान के संबंध में कोई जांच की गई हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस के पिता लालचंद के सभी वारिसान को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया हो, या उन्हें सुना गया हो, यह भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर सभी विधिक वारिसान के संबंध में अनुसंधान किए बगैर नामान्तरण करने की कार्यवाही की गयी है एवं जायज वारिसान की अनापत्ति नही ली गई। लालचंद के वारिसान की तलबी हेतु एवं वसीयत प्रकरण की सुनवाई कर निर्णित करने हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रिका में प्रकाशन किया जाना चाहिए था, हस्तगत प्रकरण में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर इतिश्री बिना सुने बिना कोई अवसर दिए प्रकरण को निर्णित किया गया है।

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया हैं। उक्त वसीयत प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही ही दूषित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं एवं तहसीलदार, घडसाना का आदेश दिनांक 14.03.2011 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार घड़साना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उक्त इंतकाल आदेश पारित होने से पूर्व लालचंद के विधिक वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच कर वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, घडसाना द्वारा प्रेषित मूल नामान्तरण की प्रति मय न्यायालय निर्णय की प्रति लौटाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़